1. सुरजनसिंह उर्फ सुरजसिंह
2. गुलाबसिंह
3. महावीरसिंह
   समस्त पुत्रगण डालसिंह जाति राजपूत निवासीगण ग्राम कारंगा बड़ा तह0 फतेहपुर जिला सीकर
4. राजूकंवर बेवाह गिरधारीसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कारंगा बड़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0
5. प्रहलादसिंह
6. पिन्टूसिंह पुत्रगण गिरधारीसिंह जाति राजपूत निवासीगण ग्राम कारंगा बड़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0
7. ओमकंवर पुत्री गिरधारीसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कारंगा बड़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0
8. नारायणसिंह
9. विजयपालसिंह
   पुत्रगण बुधसिंह जाति राजपूत निवासीगण ग्राम कारंगा बड़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0
10. भंवरा पुत्र तिलोकाराम जाति जाट निवासी ग्राम कारंगा बड़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0

.... प्रार्थीगण

बनाम

1. मातुसिंह
2. महावीरसिंह
3. कानसिंह पुत्रगण मगनसिंह जाति राजपूत
4. भंवरकंवर बेवाह मगनसिंह जाति राजपूत
5. गुलाब कंवर बेवाह समुन्द्रसिंह जाति राजपूत
6. मांगूसिंह
7. किशोरसिंह पुत्रगण समुन्द्रसिंह जाति राजपूत
8. पृथ्वीसिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति राजपूत
9. राजूसिंह
10. सुरेन्द्रसिंह पुत्रगण बजरंगसिंह जाति राजपूत
11. फैजूखां पुत्र महमूद खां जाति कायमखानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

समस्त निवासीगण ग्राम कारंगा बड़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0
12. सरपंच ग्राम पंचायत बिरानियां तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0
13. तहसीलदार एवं भूमिधारक फतेहपुर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता

श्री भीमसिंह एड.– प्रार्थी
श्री राजकुमार शर्मा एड.– अप्रार्थी

निर्णय

दिनांकः– 27.06.2018

प्रार्थीगण की ओर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि भूमि खसरा नंबर 229 रकबा 3.08 हैक्टयर वाके ग्राम कारंगा बड़ा के खातेदार प्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 है व खसरा नंबर 230/2 रकबा 1.24 हैक्टयर वाके ग्राम कारंगा बड़ा के काबिज खातेदार काश्तकार प्रार्थीगण संख्या 8,9 है व भूमि खसरा नंबर 230/1 रकबा 1.24 हैक्टेयर वाके ग्राम कारंगा बड़ा का काबिज खातेदार काश्तकार प्रार्थी संख्या 10 है।

भूमि खसरा नंबर 229,230/1 व 230/2 एक ही स्थान पर स्थित है जिनमें आवागमन का एकमात्र रास्ता खसरा नंबर 76 में से होकर 15 फुट चौड़ा खसरा नंबर 76 से सटते हुये आम रास्ता सड़क से फंटकर खसरा नंबर 76 से सटते हुये आम रास्ता सड़क से फटकर खसरा नंबर 76 में से चलकर 230/1 व 230/2 में से होता हुआ खसरा नंबर 229 तक आता जाता है। जिस रास्ते को संलग्न नक्शे में अंक एबीसी से दर्शित किया गया है।

प्रार्थीगण अपने उक्त खेतों में खसरा नंबर 76 में से फंटकर जाने वाले संलग्न नक्शे में अंक एबीसी से दर्शित रास्ते से मय अपने पशुधन, ट्रेक्टर ट्राली, उंटगाड़ा सहित गमनागमन करते आते रहे है और अब भी कर रहे है। प्रार्थीगण के उक्त खेतों में गमनागमन का इस रास्ते के अलावा कोई रास्ता कभी नहीं रहा है और ना अब है।

भूमि खसरा नंबर 76 के खातेदारान में कुछ भूमि अप्रार्थी संख्या 11 को विक्रय कर देने पर तथा अप्रार्थी संख्या 11 द्वारा कुछ भूमि अप्रार्थी संख्या 12 के पक्ष में परित्याग कर देने पर उक्त भूमि में मस्जिद व मदरसे का निर्माण किया जा चुका है मदरसा व मस्जिद का निर्माण करने के बाद भी मदरसा व मस्जिद के उत्तर में होकर संलग्न नक्शे में अंक एबीसी से दर्शित खसरा नंबर 76 में से होकर प्रार्थीगण का उक्त रास्ता पूर्ववत चालू रहता रहा और अब भी है।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

... 15 दिन से तत्पर है जिसका उन्हें कोई
हक अधिकार नहीं है इन रास्ता का वक्त है प्रार्थीगण के खेतों में उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के उक्त रास्ते को अवरुद्ध बंद व तंग करने में सफल हो गये तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी।

उक्त खसरा नंबर 76 में से अंक ए बी से दर्शित रास्ता से प्रार्थीगण अनादीकाल से आते जाते रहने से उन्हें यद्यपि उक्त रास्ते बाबत सुखाधिकार हासिल हो चुका है जिस रास्ते को अप्रार्थीगण बंद व अवरुद्ध करने के कतई अधिकारी नहीं है। फिर भी प्रार्थीगण अपने उक्त खेतों में गमनागमन हेतु खसरा नंबर 76 में से स्थाई रुप से अंक ए बी से दर्शित 15 फुट चौड़ा रास्ता कायम किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क अदा करने को तत्पर है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थिगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 व 9 की ओर से श्री राजकुमार शर्मा एड. ने वकालतनामा व जवाब पेश किया। अप्रार्थीगण संख्या 4 ता 11 की बावजूद तामील हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रकरण में तहसीलदार फतेहपुर से मौके की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार फतेहपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट जरिये पत्रांक 1518 दिनांक 29.06.2018 से प्राप्त हुई। बहस वकील प्रार्थीगण सुनी गयी।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बहस वकुलाय फरीकेन पर मनन किया। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार, फतेहपुर व जवाब प्रार्थना पत्र से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी को 15 फीट चौड़े रास्ते की अलांतिक आवश्कता है। इसका कोई अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं है।

अतः प्रार्थीगण की यह मांग उचित प्रतीत होती है, प्रार्थीगण को यह रास्ता दिया जाना न्याय संगत है। प्रार्थीगण द्वारा जिन खसरों से रास्ता चाहा गया है उनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	खसरा नं0	रकबा	किस्म	प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई	खातेदार का नाम
1	130	0.52है0	बा.1	15 फीट	मातु सिंह पुत्र मगनसिंह हि. 3/64 जाति राजपूत सा. देह महावीर सिंह पुत्र मातु सिंह हि0 1/16 जाति राजपूत सा. देह

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

तहसीलदार फतेहपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मय फर्द मौका रिपोर्ट व आंशिक नक्शा ट्रेस में बरंग लाल से दर्शाया गया 15 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण को दिया जा सकता है। राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) (1) में यह स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं होता है तो डीएलसी दरों की दो गूना राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाकर प्रार्थी को रास्ता दिया जा सकता है। डीएलसी दरें निर्णय दिनांक की ही मान्य होगी। इसी आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रभावित पक्षकारों को भुगतान करना अनिवार्य होगा। प्रार्थीगण के आवेदन की गंभीरता एवं अलांतिक आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए उनका आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार फतेहपुर से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द मौका दिनांक 29.06.2018 एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस में लाल रंग से दर्शाया गया 15 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण के पक्ष में दिये जाने के आदेश दिये जाते है। मौका रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस व फर्द मौका निर्णय का अनिवार्य भाग रहेगें। नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :—

1. तहसीलदार, फतेहपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस में बरंग लाल से दर्शाया गया प्रस्तावित नए रास्ते मे समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू) डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गूणा राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस मे न्यायलय में प्रस्तुत की जाएगी। जिसमें प्रत्येक पक्षकार को देय राशि की अलग अलग गणना की जावेगी। यह ध्यान रहे कि पूर्व में रास्ते के रूप में दर्ज भूमि की रशि की गणना नहीं की जावे।
2. प्रार्थीगण द्वारा गणना उपरान्त बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित पक्षकारों (अप्रार्थीगण) को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप किया जावेगा। जो डीएलस द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि के बराबर होगी।
3. प्रार्थीगण नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि अप्रार्थीगण (प्रभावित पक्षकारों) को प्रदान करने के उपरान्त तहसीलदार, फतेहपुर द्वारा भौतिक रूप से नए रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाएगा। तहसीलदार द्वारा इस बात का विनिश्चय किया जाएगा कि अप्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हो चुकी है। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर क्षतिपूर्ति राशि लेने से इन्कार करता हो तो यह राशि प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार को प्रस्तुत की जावेगी जिसे तहसीलदार द्वारा अप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जावेगी।
4. नए प्रस्तावित 15 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभि... निर्वाचित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में रास्ता के रूप में अभिलिखित की जावेगी। इसमें पूर्व से विद्यमान रास्ता भी शामिल है।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

5

5\. प्रार्थीगण को उक्त 15 फीट चौड़े रास्ते में केवल रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होगे।

6\. रास्ते के रूप समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तों की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थीगण को 15 फीट चौड़ा रास्ता दिये जाने का आदेश आज दिनांक 27.06.2018 को दिया जाता है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार, फतेहपुर को अहकाम जारी हो। बाद जाप्त कार्यवाही दाखिल दफ्तर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद जाप्त कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 27.06.2018 को खुले कैम्प कोर्ट बलोद छोटी में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

अध्यक्ष
फतेहपुर शेखावाटी
उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)